

बंधुआ श्रम अनुभाग (बीएल अनुभाग)

कार्य मर्दे

1. बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन।
2. अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों को पूरा करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का मॉनीटरन।
3. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन के संबंध में सुझावों की जांच करना और उन पर कार्यवाही करना।
4. बंधुआ श्रम से संबंधित संसदीय प्रश्न।
5. बंधुआ मजदूरी के अभिनिर्धारण के लिए सर्वेक्षण/अध्ययन/कार्यशालाएं करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रयास शुरू करना और समन्वय करना तथा इन सर्वेक्षणों/अध्ययनों/संगोष्ठियों की रिपोर्टें/सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही करना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना।
6. बंधुआ मजदूरी प्रथा की घटना के संबंध में देश के विभिन्न भागों में अंचल निदेशकों, पिछ़ा वर्ग कल्याण, गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन/सर्वेक्षणों की रिपोर्टें के संबंध में जांच करना, कार्यवाही करना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना।
7. बंधुआ मजदूरी के अभिनिर्धारण, निर्मुक्तियों और पुनर्वास में की गई प्रगति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक रिपोर्टें तथा रिटर्नों का संग्रह।

अन्य सूचना

अनुभाग का नाम: बंधुआ श्रम
कमरा नं.: जैसलमेर हाउस,
मान सिंह रोड, नई दिल्ली
दूरभाष संख्या: ऑटो 23070751 : --
23389928 : --

चैनल के अधिकारी:
श्री आर. एन. पी. सिंह- सहायक
निदेशक
श्री आर.के. प्रसाद - अवर
सचिव
श्री एस.पी. गुप्ता- उप सचिव
श्री अनिल स्वरूप - संयुक्त
सचिव
सचिव

www.labour.gov.in
पर भी जाएँ

[http://labour.nic.in](http://labour.nic.in/dglw/welcome.html)
[/dglw/welcome.html](http://labour.nic.in/dglw/welcome.html)

8. बंधुआ मजदूरी प्रथा की घटना के संबंध में संबद्ध राज्यों के साथ विशेष शिकायतें/प्रेस रिपोर्ट तैयार करना।
9. बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन करना तथा इसके प्रचालन के लिए व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करना।
10. बंधुआ मजदूरी के अभिनिर्धारण/पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी के लिए योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन करना।
11. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निधियों के आबंटन और निर्मुक्ति को विनियमित करने के लिए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनर्वास स्कीमें तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना/संशोधित करना/आशोधित करना।
12. बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए जांच समिति की बैठकों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को निधियां जारी करना।
13. स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा बंधुआ मजदूरी के अभिनिर्धारण/पुनर्वास के लिए राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को निधियां जारी करना।
14. प्रत्येक स्कीम के लिए आवधिक रिपोर्टों और रिटर्नों/मध्यावधिक समीक्षा के जरिए भौतिकीय लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय के संबंध में प्रगति का मॉनीटरन।
15. केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के संबंध में लेखों का रख-रखाव तथा रिपोर्ट एवं रिटर्न प्रस्तुत करना।

*** * *